

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक ५०२/५०४/अका०प्र०/०८,

भोपाल, दिनांक- ३१/१०/१८

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,

मध्यप्रदेश

विषय:- CCE- I एवं CCE- II की परीक्षा कराने की अनुमति ।

—000—

विषयान्तर्गत लेख है कि कुछ छात्र/छात्रायें महाविद्यालय में काफी समय उपस्थित रहने के बावजूद CCE- प्रथम CCE- द्वितीय में कतिपय कारणों से सम्मिलित नहीं हो सके । इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत है तथा परीक्षा प्रवेश जारी होने तक 75 प्रतिशत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में CCE- I एवं CCE- II की परीक्षा विद्यार्थी से शपथपत्र (अन्डरटेकिंग) लेकर कराई जा सकती है ।



(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, म०प्र०